दिनांक- 20.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 233/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ - थाना पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक- 20.06.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष पनवाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित उ0नि0 पवन गौड़ मय हमराह उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्रा, कां0 राममिलन सिंह व कां0 शीलेश यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम 01 नफर अभियुक्त गजराज उर्फ गज्जू पुत्र खलक सिंह उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम बगवाहा थाना कुलपहाड जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये कस्बा पनवाडी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 78/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

गजराज उर्फ गज्जू पुत्र खलक सिंह उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम बगवाहा थाना कुलपहाड जनपद महोबा

बरामदगी माल-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1.उ0नि0 पवन गौड़
2.उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्रा
3.कां0 राममिलन सिंह
4.कां0 शीलेश यादव

दिनांक- 20.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 234/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी - थाना खरेला

थाना खरेला की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री नन्हेलाल द्वारा गठित उ0नि0 अवनीश कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा, रि0कां0 आदर्श पाठक व रि0कां0 अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त रणधीर उर्फ हलकुट्टा पुत्र जयप्रकाश उम्र करीब 47 वर्ष निवासी ग्राम जरौली थाना खरेला जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूत 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 43/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रणधीर उर्फ हलकुट्टा पुत्र जयप्रकाश उम्र करीब 47 वर्ष निवासी ग्राम जरौली थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1.उ0नि0 अवनीश कुमार यादव
2.उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा
3.रि0का0 आदर्श पाठक
4.रि0का अभिषेक मिश्रा

मा0 मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश जी के आगामी दिनांक- 21 जून 2026 को जनपद महोबा आगमन के दृष्टिगत निम्नानुसार यातायात डायवर्जन किया गया है।

कुलपहाड़ की ओर से आने वाले सभी वाहनों को सूपा चौराहे से डायवर्ट करके श्रीनगर की ओर रवाना किया जायेगा जो श्रीनगर होते हुए महोबा की ओर आयेंगे।

इसी प्रकार महोबा से कुलपहाड़ जाने वाले सभी वाहन श्रीनगर होते हुए सूपा चौराहे की ओर से कुलपहाड़ की ओर जायेंगे।

चरखारी की ओर से आने वाले वाहन झलकारी बाई से डायवर्ट होकर बाइपास होते हुए परमानन्द की ओर से हमीरपुर चुंगी होते हुए कबरई की ओर जायेंगे।

बैरियर व्यवस्था-

यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं आवश्यक सेवाओं को गतिमान बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों में बैरियर लगाकर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जायेगा।

इस दौरान यातायात पुलिस द्वारा पुलिस लाइन मोड़, रामनगर तिराहा, राठ चुंगी, परमानन्द चौक, बजरंग चौक पर बैरियर व्यवस्था की गयी है। जिसके अन्दर आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी चीजों का प्रवेश प्रतिबन्धित होगा।

पार्किंग व्यवस्था- इस दौरान कार्यक्रम स्थल के पास ही मोदी ग्राउण्ड में एवं रामश्री महाविद्यालय में सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की गयी है।